संख्या–2009/69–1–2016–14(90)/2016

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एंव गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग। लखनऊ : दिनांकः 15 सितम्बर, 2016

विषयः मानव चालित रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी चालित ई–रिक्शा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची की जांच।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1639/69–1–2016–14(90)/2016 दिनांक 17.08.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रिक्शा योजना के अन्तर्गत ई–रिक्शा वितरण हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में अनियमितता बरते जाने सम्बन्धी कतिपय जनपदों से प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत नगर निकायों के पात्र लाभार्थियों की तैयार की गयी सूचियों की प्रमाणिकता की जॉच ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों की समिति, जो योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार किये जाने की प्रकिया में किसी भी स्तर पर सम्बद्ध न रहे हों, गठित कर कराने के निर्देश दिये गये थे। यह अपेक्षा की गयी थी कि अपने मण्डल के अधीन सभी जनपदों में, जहॉ ई–रिक्शा का वितरण किया जा चुका है अथवा जहॉ अभी ई–रिक्शा का वितरण किया जाना है, में तैयार की गयी लाभार्थियों की सूची की जॉच 10 दिन में संपादित कराकर जॉच आख्या निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण(सूडा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध करायी जाय, किन्तु लगभग 01 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद उक्त जॉच आख्या अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में वांछित जॉच आख्या निदेशक, सूडा के माध्यम से 01 सप्ताह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–2009/69–1–2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त शासनादेश दिनांक 17.08.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।